Commonwealth Human Rights Initiative

working for the *practical* realisation of human rights in the countries of the Commonwealth

भारतीय जेलों के बारे में दस चीज़ें जाने

भारतीय जेलों में दो तिहाई कैदी विचाराधीन है।विश्व में केवल 17 ही ऐसे देश है जिनकी जेलों की आबादी का 67 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विचाराधीन कैदी है।

2015 में जेलों में 1584 कैदियों की मृत्यु हुई। इसका मतलब हर 330 मिनट में एक मौत होती है।

जेलों की दो तिहाई आबादी एस.सी., एस.टी., तथा ओ.बी.सी. है।

पिछले पन्द्रह सालों में महिला कैदियों की आबादी 61 प्रतिशत बढ़ गयी है।

औसतन, जेल विभाग प्रति कैदी पर 86 रूपए प्रति दिन खर्च करता है । जहाँ दिल्ली के प्रत्येक कैदी पर 201 रूपए खर्च होते है राजस्थान के हर कैदी पर प्रतिदिन सिर्फ 8 रूपए ही खर्च होते है।

एक चौथाई विचाराधीन कैदी एक साल से ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे बिता चुके है।

जेलों को चलाने के लिए 53009 स्टाफ नियुक्त किये गए हैं जिसमें की सिर्फ 597 सुधारात्मक स्टाफ है। यानि प्रति जेल एक सुधारात्मक स्टाफ भी नहीं है ।

औसतन प्रत्येक जेल का निरक्षण महीने में केवल दो बार ही होता है।

भारतीय जेलों में 6185 विदेशी कैदी है जिन में से 66 प्रतिशत बंग्लादेश से हैं।

70 प्रतिशत कैदी या तो अनपढ़ हैं या दसवी कक्षा से भी कम पढ़े लिखे हैं ।